

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओपीओबिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 22/2018

प्रार्थी

भूराराम गोदारा
खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
अधिकारी बाड़मेर

अप्रार्थी

बनाम

1. सुशील कुमार पुत्र बंशराज
जाति जैन निवासी पाटोदी
तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
(फर्म नानेश किराणा स्टोर पाटोदी
का मालिक)
2. भरत पुत्र कलाराम हाउस नं. 439
निवासी जोशी निवास पहला फेस
आशापूर्णा सिटी पाल जोधुपर)

अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (i) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम, 2006 व नियम 2011

- उपस्थित:-1. श्री दौलतराम सहायक लोक अभियोजक प्रथम प्रार्थी की ओर से।
2. श्री सम्पतराज बोथरा अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय

दिनांक 02.05.2018

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 23.02.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर के सुबह 11.00 बजे मॅसर्स नानेश किराणा स्टोर पाटोदी जिला बाड़मेर पहुंचने पर दुकान में एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला, जिसका नाम व पता पूछने पर अपना नाम सुशील कुमार पुत्र बंशराज उम्र 45 वर्ष जाति जैन निवासी पाटोदी तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर (मालिक व खाद्य कारोबारकर्ता) होना बताया गया। दुकान का निरीक्षण करने पर दुकान में अन्य किराणा सामग्री के साथ लाल मिर्ची पाउडर ब्राण्ड मिस्टर सेफ जो कि 500-500 ग्राम के 20 पैकेटो में पाई गई। उक्त लाल मिर्ची पाउडर ब्राण्ड मिस्टर सेफ में मिलावट का संदेह होने पर रूबरू गवाह के समक्ष मालिक विक्रेता को जरिये रसीद रूपये 480/-

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर



नगद अदा कर आधा-आधा किलो कुल 2 किलो खरीदी एवं रूपयो की रसीद/केश मीमो प्राप्त की। विक्रेता व गवाह के सामने 4 लेबल तैयार किये गये उन पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर पी.627 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक आदि विवरण अंकित किया। खरीदी हुए लाल मिर्ची पाउडर ब्राण्ड मिस्टर सेफ को चार कागज के पैकेटो में सीलबन्द किया। प्रत्येक पैकेट पर लेबल चिपकाया जाकर प्रार्थी व गवाहो व मालिक विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रत्येक नमूने को मोटे व खाखी कागज में लपेट कर इस पर पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर पी-627 चिपकाकर नियमानुसार सील बंद किया। प्रत्येक नमूने पर विवरण लिख कर प्रार्थी व गवाहो ने पेपर स्लीप को क्राँस करते हुए अपने-अपने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए भरकर गवाहो के हस्ताक्षर कराये जिसकी प्रति मालिक विक्रेता को दी गई। मौके पर ही गवाहो की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार की गई। उक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी-627 जॉच हेतु खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। फार्म नम्बर 06 की सात प्रतियां तैयार की गई। नमूना सील जिसका प्रयोग सेम्पल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया था, एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनों को सीलबन्द करने में किया गया एवं आउटर कवर पर नमूना विवरण अंकित किया गया एवं एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाद्य सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनों के शेष दूसरा, तीसरा व चौथा मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया। प्रार्थी द्वारा परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि खाद्य पदार्थ लाल मिर्ची पाउडर ब्राण्ड मिस्टर की नमूना जांच रिपोर्ट फूड एनालिस्ट जोधपुर के क्रमांक एलएस/183/एक्ट/2017/215 दिनांक 02.03.2017 से अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य पदार्थ लाल मिर्ची पाउडर ब्राण्ड मिस्टर सेफ का नमूना पी-627 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया। जॉच में मिथ्याछाप (Misbranded) पाये गये खाद्य पदार्थ लाल मिर्ची पाउडर ब्राण्ड मिस्टर सेफ का विक्रय करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा (3)(1)(zf)(c)(i)



न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

का उल्लंघन होना पाये जाने के फलस्वरूप अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बाड़मेर ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया है।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये।
3. अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से करवाना चाहता है। न्यूनतम जुर्माना करवाते हुए प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से किया जाए।
4. प्रार्थी की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर ने बहस के दौरान बताया कि दिनांक 23.02.2016 को जांच के दौरान लाल मिर्ची पाउडर ब्राण्ड मिस्टर सेफ में मिलावट होने का संदेह होने पर नियमानुसार लिया गया नमूना पी-627 फूड एनालिस्ट राज. जोधपुर की जांच रिपोर्ट में जांच में मिथ्याछाप (Misbranded) का पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा (3)(1)(zf)(c)(i) का उल्लंघन है। इसलिये अप्रार्थीगण पर जुर्माना आरोपित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।
5. हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/183/एक्ट/2016/215 दिनांक 02.03.2016 का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा बेचा जा रहा खाद्य पदार्थ लाल मिर्ची पाउडर ब्राण्ड मिस्टर सेफ का नमूना पी. 627 जांच में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा (3)(1)(zf)(c)(i) का उल्लंघन है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी प्रतीत होते हैं।
6. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (i) उल्लंघन किया गया है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में जांच में मिथ्याछाप (Misbranded) स्तर का खाद्य पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा (3)(1)(zf)(c)(i) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप तथा लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत अभियुक्त सुशील कुमार एवं अन्य प्रत्येक पर रूपये 3000/- अक्षरे दो-दो हजार मात्र शास्ति आरोपित की जाती है।



X

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 02.05.2018 से एक माह के अंदर-अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।



(ओ०पी० बिश्नोई)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर



निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 02.05.2018 को सुनाया गया।



न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर